रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96

REGISTERED NO. D. L.-33001/96

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 16] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1996/ आषाढ़ 15, 1918
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1996/ASADHA 15, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 1996

आ. अ. 73.— यतः ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट गोवा विधानसभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है,

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है ।

1523 GI/96—1

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और पते	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गोवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन	20-पोन्डा	मेल्ला दशकीर मुल्ला ओ. पी. ए., खांडेपार, गोवा	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।

[सं० 76/गोवा–वि० स०/95]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th June, 1996

O.N. 73.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Goa Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament for the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order ;—

TABLE

No.	Particulars of Election	Sr. No. & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidates	Reasons for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Elections to the Goa Legislative Assembly	20—Ponda	Mulla Dashkir Mulla OPA, Khandepar, Goa.	Failed to lodge any account of election expenses

[No. 76/GOA-LA/95]

By order,

BABU RAM, Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 1996

आ.अ. 74:— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से श्री.पी. शरत चन्द्र, आई.ए.एस., आयुक्त एवम् विशेष सचिव (मन्त्रिमण्डल) को मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, उनके कार्यभार ग्रहण

करने की तारीख से अगले आदेशों तक, श्री जरनैल सिंह के स्थान पर एतद्द्वारा नामित करता है । उन्हें राज्य सचिवालय में निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचन संबंधी कार्यों के विभाग में सरकार के सचिव के रूप में भी पदाभिहित किया जायेगा ।

2. आयोग ने नोट किया है कि श्री शरत चन्द्र के पास आयुक्त और विशेष सचिव (मंत्रिमण्डल) का अतिरिक्त कार्यभार है आयोग मणिपुर राज्य में पूर्ण कालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जोर नहीं दे रहा है क्योंकि राज्य में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र नहीं है । जैसे ही साधारण निर्वाचन सन्निकट होते हैं, श्री पी. शरत चन्द्र को सभी ओर प्रत्येक अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया जाए और एक अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाए ।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए श्री पी. शरत चन्द्र आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति लिए बिना ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित कार्यभारों के अतिरिक्त मणिपुर सरकार के अधीन कोई अन्य कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।

4. साधारण निर्वाचन के सन्निकट आने पर यदि श्री पी. शरत चन्द्र को उनके सभी अतिरिक्त कार्यभारों से मुक्त नहीं किया जाता या आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति लिए बिना ऊपर पैरा 2 में वर्णित कार्यभार के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है या ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है तो वे इस आदेश की शर्तों के अनुसार, ऐसा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के पदभार से अपने आप हटा दिए गए समझे जाएंगे और किसी अलग आदेश को जारी नहीं किया जाएगा अथवा जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी । उसके पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में ड्यूटी और कार्य के तथाकथित निवहन में उनके द्वारा की गई सभी या कोई कार्रवाई अप्राधिकृत, क्षेत्राधिकार के बिना, नास्ति, अकृत और शून्य होगी और वह स्वयम् अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होंगे ।

[सं. 154/मणि./96]
आदेश से,
के.पी.जी. कुट्टी, सचिव

New Delhi, the 19th June, 1996

O.N. 74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Manipur hereby nominates Shri P. Sharat Chandra, IAS, Commissioner and Special Secretary (Cabinet) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Jarnail Singh. He will also be designated as Secretary to the Government in the department in the State Secretariat dealing with elections under the Election Commission.

2. The Commission has noted that Shri P. Sharat Chandra has additional charge of Commissioner and Special Secretary (Cabinet), The Commission is not insisting on a full-time Chief Electoral Officer in the State of Manipur as the State has not more than two Parliamentary Constituencies. As soon as a general election becomes imminent, Shri P. Sharat Chandra shall be divested of all and every additional charge and a compliance report sent to the Commission.

3. Shri P. Sharat Chandra while functioning as Chief Electoral Officer, Manipur, shall not hold, without the prior written approval of the Commission any additional charge, whatsoever, under the Government of Manipur over and above the charges mentioned in paragraph 2 above.

4. If Shri P. Sharat Chandra is not divested of all his additional charges as soon as a general election becomes imminent or is entrusted with or ordered to hold any additional charge of any kind whatsover over the above the charge mentioned in paragraph 2 above, without the prior written approval of the Commission, Shri P. Sharat Chandra will stand removed from the office of the Chief Electoral Officer, Manipur from the date of assumption of any such additional charge in terms of this very order and no other order will, or need to, be issued. All and any action taken by him thereafter in the discharge of his duties and functions as the Chief Electoral Officer shall be unauthorised, without jurisdiction, non-est and null and void and he shall render himself liable to disciplinary action.

[No. 154/MR/96]
By order,
K. P. G. KUTTY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996